निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :44/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

छीतर पुत्र रामसहाय जाति स्वामी निवासी ग्राम नैनस्या, तहसील फागी, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री अरविन्द शर्मा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी फागी ।
   मन्दिर सीताराम जी जरिये अध्यक्ष
2. कैलाश यादव पुत्र रामपाल
3. रामफूल पुत्र भैरूराम
4. लादूराम पुत्र छीतर
5. श्रवण लाल पुत्र किशन लाल
6. बद्री लाल पुत्र कजोड मल

   समस्त जाति यादव निवासी ग्राम नैनस्या, तहसील फागी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 03/2022 ब उनवानी सरकार बनाम मन्दिर सीताराम जी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री हरिनारायण अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. प्रतिनिधि अप्रार्थी 2 व 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 04.07.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष प्रकरण संख्या 03/2022 ब उनवानी सरकार बनाम मन्दिर सीताराम जी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी फागी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई । अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के प्रतिनिधि उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 22.07.2022 को तत्कालीन कार्यवाहक उपखण्ड अधिकारी फागी श्री भूपेन्द्र यादव ने अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 से मिलीभगत करते हुये आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.08.2022 नियत होने के बावजूद बार एसोसियेशन फागी के चुनाव दिनांक 22.07.2022 को नियत होने पर भी एक पक्षीय

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय पारित करते हुये प्रार्थी की सैकडों वर्ष पुरानी कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि जिसका सैकडों वर्षो से राजस्व रिकार्ड प्रार्थी व उसके पूर्वजों के नाम है, को अप्रार्थीगण से मिलीभगत करते हुये कब्जे राज लेते हुये न्यायालय से बाहर ले जाकर पत्रावली में निर्णय पारित कर दिया तथा उसी दिन कब्जे राज के आदेश जारी करते हुये प्रार्थी की भूमि को कुर्क करवा दिया जो गैर कानूनी होने के साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। तत्कालीन कार्यवाहक उपखण्ड अधिकारी फागी श्री भूपेन्द्र यादव ने प्रकरण में नियत तारीख पेशी दिनांक 12.08.2022 के पूर्व पत्रावली को तलब किया है। जिसकी सूचना प्रार्थी व उसके अधिवक्ता को कभी भी नहीं दी गई। अप्रार्थी ने स्थानीय विधायक श्री बाबूलाल नागर के दबाव में प्रार्थी के साथ घोर अन्याय करते हुये प्रार्थी की जमीन को कुर्क करने का एक तरफा आदेश पारित किया है जो गैर कानूनी व विधि के विपरीत था जिसकी निगरानी प्रार्थी के द्वारा माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दूदू के यहां तत्काल पेश की गई। जिस पर दिनांक 18.08.2022 को न्यायालय ए डी जे दूदू ने उपखण्ड अधिकारी फागी के कुर्की आदेश दिनांक 22.07.2022 जो विधि के विपरीत था, को तत्काल निरस्त कर दिया है। प्रार्थी के द्वारा तत्कालीन कार्यवाहक उपखण्ड अधिकारी फागी श्री भूपेन्द्र यादव के द्वारा की गई कुटरचना व न्यायालय आदेशिकाओं में फर्जी कार्यवाही जो अन्य अप्रार्थीगण से मिल कर की गई है जिसकी शिकायत दिनांक 06.08.2022 को ही राजस्थान सरकार के समस्त उच्च अधिकारियों व पुलिस प्रशासन को की गई थी तथा प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व एक परिवाद माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फागी के यहां फौजदारी परिवाद प्रस्तुत किया है जो न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश दूदू के यहां निगरानी में विचाराधीन है। दिनांक 18.08.2022 के न्यायालय ए डी जे दूदू के आदेश की पालना में अब तक अप्रार्थी संख्या 1 ने धारा 145 का प्रकरण जो अप्रार्थी संख्या 1 के पास विचाराधीन है किसी भी प्रकार का पालना आदेश जारी नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 1 को न्यायालय ए डी जे दूदू के आदेश दिनांक 18.08.23022 की पालना हेतु निर्णय की प्रति दी गई जिसमें दिनांक 22.07.2022 के इस न्यायालय के आदेश को निरस्त करने की तहरीर तहसीलदार व थानाधिकारी फागी को जारी करनी थी, जो आज दिनांक तक जारी नहीं की गई। अप्रार्थी संख्या 1 स्थानीय विधायक श्री बाबूलाल नागर के दबाव में रहते हुये प्रार्थी के साथ घोर अन्याय करने पर आमादा है जिससे विधायक श्री बाबूलाल नागर के विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत उपखण्ड अधिकारी से प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है। राजनैतिक दुर्भावना से स्थानीय विधायक प्रार्थी के विरूद्व है। जिससे उक्त प्रकरण को बाबूलाल नागर के विधान सभा क्षेत्र. के बाहर किसी अन्य सक्षम अदालत में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के प्रतिनिधि ने कथन किया कि उक्त प्रकरण मन्दिर माफी की भूमि से संबंधित है जिससे प्रार्थी उक्त मामले को विलम्बित करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है। अप्रार्थीगण उक्त प्रकरण को जयपुर जिले के किसी भी राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरण हेतु सहमत है। अतः जयपुर जिले के किसी भी राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी फागी के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को ध्यानजर रख कर मुलकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुलकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थीगण भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुलकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 03/2022 व उनवानी सरकार बनाम मन्दिर सीताराम जी व अन्य को न्यायालय पर उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को अन्तरण किया जाता है।

9. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर भुमार कैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 04.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर